

मापी अगिलेव 32 18.19

आवेदक - महावीर सिंह,

पिता - गोविन्द सिंह

खण्ड - झोलीडीह

जिला - बनारस

आदेश

आवेदक महावीर सिंह पिता, खण्ड गोविन्द सिंह खण्ड झोलीडीह, जिला बनारस का निवासी हुए माता झोलीडीह, भाग 351 खण्ड नं० 25 खण्ड नं० 799 खण्ड 18.84 1/2 बी० अगि मापी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर एका कर्मचारी का जोय प्रतिवेदन ग्रंथ सचिवालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन किया गया है कि माता झोलीडीह खण्ड 351 खण्ड नं० 25 खण्ड नं० 799 खण्ड 18.84 1/2 अगि जत इमती करके बी अगि है। जमावही खण्ड 25 में लगान बरत लेना है। अतः एका कर्मचारी एवं ग्रंथ सचिवालय के जोय प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क जमा करके के इच्छानुसार ग्रंथ सचिवालय का प्रतिनियुक्त करें।

सचिवालय लखनऊ

ग्रंथ सचिवालय  
बाणगा

अगिलेव उपलब्ध किया गया है। आवेदक महावीर सिंह  
पिता - गोविन्द सिंह, खण्ड - झोलीडीह नं० NR. NO - 32/01  
1128289 दिनांक 12/10/2018 के द्वारा मापी शुल्क  
जमा किया गया है।

Pam  
13/03/19  
ग्रंथ सचिवालय  
बाणगा

अग्निसेवक उपलब्ध किया गया है कि अंगुल अग्निसेवक द्वारा जांच एवं शादी  
 आवेदानुसार मौला, डौलीडीह, भागा 351 अंगुल बाधभाए के अंतर्गत कताना, 25  
 लॉट नं 799 केवा 18.84 1/2 एड्ड भूमि मानी करने का आवेदन प्राप्त  
 था मने आवेदानुसार दिनांक 26-12-18 को जल में पहुँचा आवेदक महावीर  
 सिंह से सम्पर्क किया गया। सिंह ने कहा कि लॉट नं 799 अंग में 0.50  
 एकाड़ है। मुझे भूमि का मुआवजा लेना है। लेकिन लॉट नं 799  
 केवा 16510 भूमि कमील 4026979 दिनांक 27-10-72 द्वारा बंदी कराया  
 गया। सिंह को सूर्य नारायण सिंह के पिता जंगल सिंह ने कम किया है। अभी  
 कर देवने से पता चला कि 0.50 एकाड़ क्षेत्र के बाहर 5.75 एकाड़ बची हुई  
 है। और 10.25 एकाड़ भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत है। पुनः कमील सं 7074  
 दिनांक 13-5-63 द्वारा दारायण सिंह के पिता पंचु सिंह ने उक्त लॉट  
 में से 8 1/4 एकाड़ भूमि कम किया है। इससे केवल 3 एकाड़ भूमि बची हुई है।  
 और 5 1/4 एकाड़ 0.50 एकाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत है। फिर उक्त लॉट में  
 से ही कमील सं 16553 दिनांक 9-6-62 द्वारा दारायण सिंह के पिता  
 पंचु सिंह ने 09 एकाड़ भूमि कम किया है। इससे से 3.25 एकाड़ भूमि  
 बाहर है। और 5.75 एकाड़ भूमि 0.50 एकाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत है।  
 अतः अग्निसेवक की इतरकाई सुधार की जाती है।

13/02/19  
 अंगुल अधिसूची  
 बाधभाए